प्रकरण सं. ....

दिनांक	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज
9/1/26	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उप.। अप्रार्थी अधिवक्ता अनु.। संशोधित उनवान पेश, संशोधित उनवान शा. मिसल किया गया। पत्रावली वास्ते अप्रार्थी सं. 10 लगा. 12 के जवाब हेतु दिनांक 29/1/26 को पेश हो। [हस्ताक्षर] 9/1/26
29/1/26	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी - अप्रार्थी अधिवक्ता उप.। अप्रार्थी सं. 10 लगा. 12 का जवाब पेश नहीं। पत्रावली वास्ते अप्रार्थी सं. 10 लगा. 12 के जवाब हेतु दिनांक 11/2/26 को पेश हो। [हस्ताक्षर] 29/1/26
30/1/26 Not press [हस्ताक्षर]	पत्रावली प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पेश करने पर लिंगर से तलब की गई। प्रार्थी एवं प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र बाबत प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं. 3 के मध्य राजीनामा हो जाने से प्रकरण को इसी स्तर पर समाप्त कराने बाबत पेश हुआ। प्रार्थीगण की ओर से उनकी प्रार्थीगण के नाबालिग होने से प्रार्थीगण की ओर से माता प्राकृतिक संरक्षिका द्वारा वाद एवं प्रार्थना पत्र विरुद्ध पिता अप्रार्थी सं. 3 पेश किया था। अप्रार्थी सं. 1 व अप्रार्थी सं. 2 प्रार्थीगण के पिता के पिता एवं माता क्रमशः दादा-दादी हैं एवं अप्रार्थी सं. 1 व 2 की मृत्यु होने से नाम हजफ किया जा चुका है अतः अप्रार्थी सं. 3 के विरुद्ध ही अनुतोष अपेक्षित है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत प्रकरण को समाप्त किये जाने का स्वीकार किया जाता प्रकरण दृष्टया उचित है अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र में कोई कार्यवाही नहीं चाहते से प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। नियम सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो और नम्बर से कम हो। [हस्ताक्षर] 30/1/26 सहायक कलक्टर भीलवाड़ा